

सेवानिवृत्ति तथा सेवारत मृत्यु की दशा में सरकारी सेवक को अनुमन्य प्रसुविधाएं:

सिविल सेवा नियमावली एवं उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को निम्नलिखित प्रसुविधाएँ एवं लाभ देय होते हैं:-

- ✚ पेंशन
- ✚ पेंशन का राशिकरण
- ✚ उपादान
- ✚ उपदान का भुगतान विलम्ब से होने की दशा में ब्याज
- ✚ अर्जित अवकाश नकदीकरण
- ✚ सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि
- ✚ सामूहिक बीमा योजना में जमा धनराशि, ब्याज सहित
- ✚ वांछित निवास स्थान तक का यात्रा-भत्ता
- ✚ चिकित्सीय सुविधा।

सेवारत मृत्यु की दशा में सरकारी सेवक के परिवार को निम्नलिखित प्रसुविधाएँ एवं लाभ देय हैं:-

- ✚ मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता
- ✚ पारिवारिक पेंशन
- ✚ मृत्यु उपादान
- ✚ अर्जित अवकाश का नकदीकरण
- ✚ सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि एवं सम्बद्ध बीमा योजना का लाभ
- ✚ सामूहिक बीमा योजना में जमा धनराशि ब्याज सहित एवं बीमा धनराशि
- ✚ वांछित निवास स्थान तक की यात्रा हेतु यात्रा भत्ता
- ✚ अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता
- ✚ मृतक आश्रित के सेवायोजन की प्रसुविधा
- ✚ भवन निर्माण आदि अग्रिम पर ब्याज से अभिमुक्ति